Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में कोष कार्यालय का सहायक लेखाधिकारी–प्रथम 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *01 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कोष कार्यालय ग्रामीण, जिला उदयपुर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माताजी की विगत 12 माह की पेंशन बनवाने की एवज में राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कोष कार्यालय ग्रामीण, जिला उदयपुर द्वारा 12 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र कुमार मीणा** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी आशीर्वादनगर सामुदायिक भवन के पीछे वाली गली के पास, सोभागपुरा, जिला उदयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कोष कार्यालय ग्रामीण, जिला उदयपुर को परिवादी से **10 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।